न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:— अक्षत कुमार सिंह, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
86 / 2025 प्रा0 पत्र	17.02.2025	09-09-2025

उनवान

1. श्री अवि असावा पुत्र सोहनलाल असावा, निवासी 60, शास्त्रीनगर, मेन सेक्टर भीलवाडा।

— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार बड़लियास तहसील व जिला भीलवाडा।

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता प्रार्थी श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित।

2—वि0 सं0 01 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित

—:: निर्णय ::—

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारो की आराजी संख्या 1127 / 912 रकबा 1.0803 हैक्टेयर भूमि ग्राम रेणवास प०ह० गेन्दलिया भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बड़लिसास तहसील कोटड़ी निवर्तमान तहसील स्वाईपुर जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित है जो कि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड है। प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 1127 / 912 में काश्त करने हेतु आने—जाने, बुआई हेतु ट्रेक्टर, संज, बैल व पैदल आने—जाने एवं फसल काश्त करने एवं अवेरने हेतु रेकॉर्डेड रास्ता मुख्य सड़क पी.डब्लू.डी. की आराजी 912 / 6 से होते हुए ग्राम रेणवास प०ह० प०ह० गेन्दलिया भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बड़लिसास तहसील कोटड़ी निवर्तमान तहसील स्वाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित विपक्षी की आराजी नम्बर 912 रकबा 10.2844 हैक्टेयर भूमि की पूर्वी दिशा की मेड़ के सहारे सहारे आराजी नम्बर 914 से लगता हुआ, प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1127 / 912 में आया जा सकता है जो कि 30 फीट चौड़ाई का है तथा आराजी संख्या 912 वर्तमान में बिलानाम दर्ज रेकॉर्ड है तथा मुझ प्रार्थी को विपक्षी की आराजी संख्या 912 में से रास्ता दिया जाकर उपरोक्त अनुसार अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है तथा उक्त रास्ते से ही प्रार्थी अपनी आराजी में आता—जाता है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नही है तथा प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थीया को अपनी में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है इसलिये मुझ प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 1127 / 912 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 912 की पूर्वी दिशा की मेड के सहारे सहारे आराजी नम्बर 914 से लगता हुआ 30 फीट चौडाई के रास्तें को, रास्तें के रूप में कायम करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना वांछित है। इसलिये यह आवेदन 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की उपधारा (2) के तहत न्यायालय आप में प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारो की भूमि ग्राम रेणवास प०ह० गेन्दलिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडलियास तहसील कोटडी निवर्तमान तहसील स्वाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित आराजी संख्या 1127/912 रकबा 1.0803 हैक्टेयर भूमि में आवागमन एवं कृषि यंत्र व कृषि उपज लाने ले जाने हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 912 की पूर्वी दिशा की मेड़ के सहारे सहारे आराजी नम्बर 914 से लगता हुआ 30 फीट चौड़ाई के रास्ते को, रास्ते के रूप में कायम करा, उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में अलग से खाता कायम करा, नक्शे में भी तरमीम कराये जाने का आदेश प्रदान करावें, इस हेतु प्रार्थी सरकार द्वारा निधारित मुआवजे की राशी का भुगतान करने के लिए सदैव से तैयार एवं तत्पर है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में तहसीलदार नायब बडलियास ने अपने पत्र क्रमांक 537 दिनांक 07.08.2025 से रास्तें का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थी की आराजी में पहुचने हेतु वर्तमान में रास्ता दर्ज रेकार्ड नही है प्रार्थी आराजी न. 912 से अपने आराजी में पहुँच सकता है प्रार्थी को चाहा गया रास्ता देने पर आराजी न. 912 जो की बिलानाम दर्ज रिकॉर्ड में से 0.2593 हैक्टयर भूमि रास्ते के उपयोग में आती है। प्रस्तावित रास्ते के उत्तर में एक एनिकट बना हुआ है। तथा नक्शा व मौका अनुसार एक नाला जिसे आराजी न. 914 (किस्म गे.मु नाली है) गुजर रहा है। उक्त नाला वादी की खातेदारी आराजी न. 1127/912 की पूर्वी मेड से लगता हुआ होकर आगे जा रहा है इस नाले में बरसात का पानी बह कर जाता है। मौके पर नाला कच्चा है। बिलानाम आराजी न. 912 से सीधा रास्ता देने पर बिलानाम के दो भाग में विभक्त होने से नाले के लगते हुए रास्ता प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 6,03,900 रूपये से दो गुणा राशि से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की कीमत 3,13,185 /– रूपये बनती है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने नायब तहसीलदार बडलियास से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार करते हुये प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दोगुना राशि भुगतान हेतु सहमत है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि नायब तहसीलदार बडलियास से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की ग्राम रेणवास प०ह० गेन्दलिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बड़लिसास तहसील कोटड़ी निवर्तमान तहसील स्वाईपुर जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 1127/912 रकबा 1.0803 हैक्टेयर भूमि में आने–जाने हेतु प्रस्तावित नक्शें अनुसार विपक्षी संख्या 01 की आराज़ी नम्बर 912 में सें 0.2593 हैक्टेयर भूमि (30 फीट चौडा) रास्ता सार्वजनिक रास्ते हेतु स्वीकृत किया जाता है। विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 912 की डी0एल0सी0 अनुसार प्रस्तावित रास्तें की दोगुनी राशि 3,13,185 /– रूपये बनती है।

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

जो विपक्षी संख्या 01 को देय है। उक्त राशि विपक्षी संख्या 01 को अदायगी के पश्चात् नायब तहसीलदार बडलियास अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राज़स्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रख़ा जावे। पत्राबली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी हो। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 09-09-2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(अक्षय कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा